फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गणेश लाल
किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री मोहनलाल
पत्रावली संख्या : 195 / 21

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 04.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 2 को पर्याप्त समय दिये पर भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः विपक्षी संख्या 1, 2 के जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध पूर्व में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षीगण की मौरूसी सम्पति है जिसमें प्रार्थी का भी हक हिस्सा निहित है जिससे प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मूल वाद में घोषणा, बटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने से प्रार्थी का हक हिस्सा निहित हैं अन्य बिन्दु मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किये जायेगे। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे किसी प्रकार के मौका एवं रेकार्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेताखेडा पटवार क्षेत्र सारंगपुरा भीण्डर तहसील कानो[illegible] राज. की जमाबंदी संवत 2051–54 की खाता संख्या नया 64 की आ[illegible] 125, 126, 130, 131, 132 किता 6 रकबा 13 बीघा 19 [illegible] भूमि में [illegible] के बाद नये नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद [illegible] रण होने तक मौ[illegible] एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bairediya
Date: 2024.06.13 15:58:53 IST
Reason: SelfAttested